

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (शि0)-पलामू/PDS-02/2022 - 814
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय:- राँची, दिनांक:- 21.10.2022
जन वितरण प्रणाली विक्रेता अंजली स्वयं सहायता समूह के विरुद्ध प्राप्त
शिकायत पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि शिकायतकर्ता श्री सुमन्त कुमार एवं अन्य, ग्राम-पोल्डीह, जगदीशपुर, प्रखण्ड-हुसैनाबाद, पलामू का शिकायत आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन में शिकायतकर्ताओं द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता अंजली स्वयं सहायता समूह के विरुद्ध राशन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है।

अतः उक्त प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

378

श्रीमान् अध्वन्य आरखण्ड राज्य खाद्य आयोग
रांची

विषय - जूजली स्वयं सहायता समुह के डिब्बे
का लायसेंस रद्द करने एवं जेल भेजने के संबंध में
महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि हम ग्रामीण जनता ग्राम-
पोलीह अगदीशपुर, प्रखण्ड - हुसैनाबाद, जिला - पलामु
राज्य आरखण्ड के लोग हैं। दिनांक - 23/09/2022
को जूजली स्वयं सहायता समुह के डिब्बे के द्वारा
राशन की कालाबाजारी पिकअप नं० 04-03K-6678
को ग्रामीण ने पकड़ा था। जिसके बाद हमलोग ने
महाशय को एक आवेदन भी दिया था, बि.डी.ओ
(B.D.O) सह आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा सुबह में
आकर जांच की गई, किन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
सह आपूर्ति पदाधिकारी ने डिब्बे को उमाह के लिए
निलंबित कर दिया किंतु हम ग्रामीण जनता मांग
करते हैं कि डिब्बे का लायसेंस रद्द करके हुए जेल भेजा
जाय, यह बराबर का मामला रहता है। यह डिब्बे हम
लोगों को फिर परेशान करेगा। स्वयं सहायता समुह के
सदस्यगण से किसी भी तरह से बंधन नहीं की जाती है।
एवं अध्वन्य, सचिव एवं अध्वन्य सभी अपने धरपरिवार
में ही रखे हुए हैं तथा सदस्यों का भी उनाप गवर्नर
द्वारा है। हम सदस्यगण भी डिब्बे का लायसेंस रद्द
करने एवं पदाधिकारियों का पूर्ण गठन करने की मांग
करती हैं। यह कालाबाजारी 23/09/2022 के भोर 3 बजे
हुई थी, ग्रामीणों ने इसका विडियो (video) भी बनाकर
महाशय के पास भेजा था। फिर भी कारवाई के नाम पर
खामोशी कर दिया गया। डिब्बे के द्वारा धमकी दी जाती है
कि जहाँ जमा है, वहाँ जाओ हम समझ लेंगे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि संबंधित डिब्बे पर
कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम सब आपके
आभारी रहेंगे।

आपका विश्वासी

सुमन कुमार
आभारी

13.10.22

13/10/22

861

13.10.22

29/09/2022

पंचायत समिति सदस्य
ग्राम पंचायत पोलीह,
प्रखण्ड - हुसैनाबाद पलामु

ललित राम

माला मुनी देवी

सापती देवी 20 200 25 26 804

बन्धन राम

अम्बरपती देवी 20 200 47 32 616

सिमा देवी

20 200 47 32 598

कुमला देवी

20 200 47 32 524

राम रही देवी

20 200 47 32 536

इन्दिरा देवी

20 200 47 32 675

गन्धर्व घाटुक

20 200 47 32 661

मञ्जु देवी

श्याम सुमारी उष्ट

20 200 25 26 791

कलावती देवी

20 200 67 08 506

लक्ष्मणी देवी

20 200 25 26 790

उर्मिला देवी

20 200 97 72 847

मालीका कुमारी

- 20 200 67 08 538

निर माला देवी

सुमन्त कुमार

Sumant Kumar

202800116923

कामेश विभवन्मो

विभवन् प्रसादी

सुष्मी देवी

202800107324

विभवन् देवी

202006704900

प्रसा देवी

202004727382

मान सुषर

—

कौशल्या देवी

Nandam Kumar -

उपेन्द्र राम

विभवन् राम

-

202004732542

लली देवी

-

202002526802

Shangappa

-




202002526805

विभवन् सुवारी


-

202007309357

विभवन् देवी

 नवनी देवी सरपु यादव (SHG सदस्य)
 विन्दा देवी जगन्ना- विश्वकर्मा (SHG सदस्य)
 अनाक - देवी नांदव यादव (SHG सदस्य)

रामविनायकसिंह 327673645802
 कुसुम देवी
 कामना यादव 229456806120 कायाल
 - पूजा देवी ~~202800202174~~
 दीपक यादव 202800202174 राजत नं
 जगत यादव
 मगत यादव

 जगन्ना- विश्वकर्मा 876700679653

अशोक विश्वकर्मा
 Ayush Pargaria

रामजन्म दासेवान 32354118039

पोलडीह पंचायत में राशन की हुई कालाबजारी, में डीलर को एमो ने किया निलंबित



झाद संवाददाता

हुसैनाबाद। हुसैनाबाद के पोलडीह पंचायत के एक डीलर के द्वारा राशन की कालाबजारी करने का मामला प्रकाश में आया है। गत गुरुवार को डीलर ग्राहकों को राशन ने देकर कालाबजारी करने के लिए वाहन से राशन ले जा रहा था। तभी ग्राहकों ने धरदबोचा लिया और हंगामा कर दिया। शुक्रवार को उपभोक्ताओं ने पंचायत सचिवालय पर जमकर हंगामा किया एवम प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने एक लिखित आवेदन प्रभारी एमओ रतन कुमार सिंह को देकर उन्हें अवगत कराया कि पोलडीह जगदीशपुर के डीलर अंजली ने हम उपभोक्ताओं को बारबार झांसा देकर राशन देने में येनकेन प्रकारण बहाना बनाता है। वही अबतक मई माह से कभी भी नियमित राशन नहीं दिया है और कहता है कि जहाँ जाना है, वहाँ जाकर शिकायत करो। हुसैनाबाद के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी एमओ रतन कुमार ने उपभोक्ता के लिखित शिकायत के बाद डीलर को अगले तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है।